

३४/२

न्यायालय श्रीमान सिविल जज(प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर

OS- 1860/20

श्रीमती माधुरी उम्र करीब 35 साल पत्नी सुनील कुमार निवासी ग्राम चकिया अगर्ह परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर.....वादिनी

बनाम

1—पवन कुमार उम्र करीब 26 साल सुत उदयचन्द्र

2—उदयचन्द्र उम्र करीब 65 साल सुत स्व० राम नरेश

3—हनुमत उम्र करीब 50 साल सुत स्व० राज नरायण

निवासीगण ग्राम अगर्ह परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर

प्रतिवादीगण

साठ वाठ राठ— / 2020 ई०

दायरा दिनांक—

दावा हुकम इमिनाई दवामी

महोदय,

वादिनी निम्न प्रकार विनयी है कि—

धारा 1—यह कि वादिनी ग्राम चकिया अगर्ह परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर की मूल वासिन्दा है और अपने पूर्वजों के समय से जमीन्दारी विनाश अधिनियम के काफी पूर्व से मौजा हाजा में आबाद चली आ रही है।

धारा 2—यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है जिसमें विवादित भूगि को लाल रंग की लकीर से घेरकर अक्षर अ, ब, स, द मय लम्बाई व चौड़ाई के प्रदर्शित किया गया है। नक्शा नजरी वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3—यह कि गाटा संख्या 510 रकमा 0.0010 है। स्थित ग्राम अगर्ह परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर श्रीमती किरन पत्नी राम

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर  
श्रीमती माधुरी बनाम पवन कुमार आदि चाठ०१० सं—  
/ 2020ई०

सुमिरन निवासी ग्राम अगर्ह परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर की संक्रमणीय भूमिधरी आराजी रही। श्रीमती किरन को अपने निजी कार्य हेतु रूपरेखे पैसे की जरूरत थी इसलिए उन्होंने वादिनी से उक्त जमीन विक्रय करने की बात किया। श्रीमती किरन की आर्थिक परेशानी को देखते हुए वादिनी ने उक्त भूमि का बैनामा श्रीमती किरन पत्नी राम सुमिरन से करवाया जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 05.11.2020 को वही संख्या 1 जिल्द संख्या 9124 पृष्ठ संख्या 293 से 324 तक क्रमांक 7272 पर उपनिवन्धक कार्यालय सदर सुलतानपुर में हुयी है।

**धारा 4—**यह कि बाद बैनामा विक्रेता श्रीमती किरन ने वादिनी को विक्रीत भूमि गाटा संख्या 510 रकमा 0.0010 हे० स्थित ग्राम अगर्ह परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर कब्जा दे दिया और तब से वादिनी गाटा संख्या 510 रकमा 0.0010 हे० स्थित ग्राम अगर्ह परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर पर बिना किसी रोक टोक के काबिज दखील होकर उसका उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। विदित हो कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया लम्बित होने के कारण उद्धरण खतौनी में अभी वादिनी का नाम अंकित नहीं हो पाया है खतौनी में आज भी विक्रेता श्रीमती किरन का नाम अंकित है। बाद पत्र के साथ बैनामे की प्रति संलग्न की जा रही है।

**धारा 5—**यह कि गाटा संख्या 510 की चौहदारी इस प्रकार है—पूरब—चकमार्ग, पश्चिम—गाटा संख्या 529 चक माता प्रसाद आदि, उत्तर—पक्की सड़क बरासिन—हरौरा हरिगंगनगंग मार्ग, दक्षिण—गाटा संख्या 529 खेत माता प्रसाद का जुज भाग स्थित है।

**धारा 6—**यह कि प्रतिवादीगण एक सरहंग क गोलबन्द, विस्तारवादी व चालबाज किस्म के व्यक्ति हैं और वादिनी से सख्त रंजिश रखते हैं तथा आये दिन प्रतिवादीगण, वादिनी को विचा किसी कारण के हैरान व परेशान करते रहते हैं। विवादित भूमि गाटा संख्या 510 से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार, कब्जा व दखल न तो कभी था और न इस समय ही है।

न्यायालय श्रीमता मधुरी चन्द्रमा पवन कुमार अदि / 2020-21  
कक्ष संख्या 15 साल 100 रु० - सुलतानपुर

34

धारा 7—यह कि विवादित भूमि गाठा संख्या 510 सङ्क के किनारे स्थित होने के कारण वेशकीमती भूमि है जिसके कारण प्रतिवादीगण की लालची निगाहें हमेशा विवादित भूमि के प्रति बद व खाम रहती है। प्रतिवादीगण दिनांक 15.12.2020 को कुछ अराजक तत्वों के साथ विवादित भूमि पर कब्जा करने की नीयत से आये और विवादित भूमि पर जबरदस्ती नव निर्माण करने की नीयत से नाप जोख करने लगे, वादिनी मौके पर पहुंचकर प्रतिवादीगण को विवादित भूमि की नाप जोख करने से मना किया जिस पर प्रतिवादीगण मार पीट, लड़ाई-झगड़ा पर आमादा हो गये। वादिनी ने हल्ला गोहार किया जिस पर गांव व पास पड़ोस के तमाम लोग आ गये तब प्रतिवादीगण उस दिन मान गये परन्तु जाते समय ऐलानियां तौर पर धमकी दिये कि भविष्य में विवादित भूमि पर कब्जा करके उससे वादिनी को बेदखल करके नव निर्माण अवश्य करेंगे।

धारा 8—यह कि प्रतिवादीगण के उक्त बेजा कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए वादिनी ने दिनांक 16.12.2020 को गांव के सम्मान्त व्यक्तियों की पंचायत बुलाया परन्तु भरी पंचायत में प्रतिवादीगण पंचों की बात मानने व न्यायालय के बाहर मामले का निपटारा करने से इन्कार कर दिये और अपनी बेजा हरकत पर अडे रहे। लिहाजा दावा दायर करना आवश्यक हुआ।

धारा 9—यह कि यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त बेजा हरकत में कामयाब हो गया तो वादिनी की अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव न हो पावेगी।

धारा 10—यह कि वाद का मूल कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.12.2020 को अपने मेली मददगारों के साथ विवादित भूमि पर आकर जबरदस्ती नव निर्माण करने की नीयत से नाप जोख करके वाद भूमि पर कब्जा करके वादिनी को बेदखल करने की ऐलानियां धमकी देने, वादिनी द्वारा मना करने पर मार पीट लड़ाई-झगड़ा पर आमादा होने वादहू दिनांक 16.12.2020 को भरी पंचायत गें पंचों की बात मानने व न्यायालय के बाहर मामले का निपटारा करने से इन्कार कर देने व नीज वाद

न्यायालय श्रीमान चित्तिल जज (प्रबर छण्ड) कक्ष संख्या 15 चुलतानपुर  
श्रीमान माधुरी यानाम पवन कुमार आदि चुलतानपुर ०५-१२/२०२०-२१/२०२१

३५

माननीय न्यायालय की न्यायिक व आर्थिक क्षेत्राधिकार के तहत उत्पन्न हुआ।

धारा 11—यह कि मालियत दावा हाजा विवादित भूमि की बाजारी कीमत मु0—6,00,000/- रुपये कायम की जाती है चूंकि दावा हुकुम इमिनाई दवामी का है इसलिए मालियत मु0—6,00,000/- रुपये का 1/5 भाग मु0—1,20,000/- रुपये पर मु0—500/- रुपये अधिकतम न्याय शुल्क अदा किया जाता है।

### याचना

अ—डिक्री हुकुम इमिनाई दवामी बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को हमेशा—हमेशा के लिए गना कर दिया जावे कि वे विवादित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा न करें और न विवादित भूमि से वादिनी को बेदखल करें, न जबरदस्ती नव निर्माण करें और न ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादिनी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न होवे।

ब—वाद व्यय वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

स—अन्य याचना जो बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण मिल सकती हो प्रदान करवायी जाय।

सराहत जायदाद गाटा संख्या 510 रकमा 0.0010 है रिथत ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर बरंग सुर्ख नक्शा नजरी अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित जुज वाद पत्र हाजा।

मैं वादिनी तसदीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 10 मेरे निजी ज्ञान से सही व सच है तथा धारा 11 व याचना के सही होने का पूरा विश्वास है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ईश्वर मेरी मदद करे तसदीक मुकाम दीवानी न्यायालय सुलतानपुर

तसदीक दि—

३/१५/१

माधुरी

प्रार्थिनी

श्रीमती माधुरी पत्नी सुनील  
कुमार निवासी ग्राम चकिया  
अगई परगना मीरानपुर  
तहसील सदर जनपद  
सुलतानपुर ..... वादिनी  
धारा संवाद  
अधिकारी

रायालय श्रीमति सिविल इंजीनियर (प्रबन्ध-एफ) मध्यरप कक्षा सं. 15 सुलतानपुर

श्रीमती माधुरी

वाडी

२५/६


पवन कुमार आदि

प्रहितदेशिणी

सां. वांडे -

12020

दायरा निवा -



P.W.D. पवनी सड़क  
वराहगंगा  
पवन कुमार आदि

आदि १ - १.२.८०२०  
आदि २ - १.२.८०२०

वाडी

माधुरी

माधुरी पवनी सुनीलकुमार  
साविन - ग्राम - वराहगंगा उपगाँ  
परगना - भीरामगढ़  
तहसील - सदर  
जिल्हा - सुलतानपुर

दायरा

अभियोगना  
अभियोगना

१५.१२.२०२०

तहत दस्तावेज़

री कीगत  
इन्सिन

15 भाग  
लक अदा

दीगण  
हमेशा  
ठज्जा  
अस्ती  
के  
से

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-  
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या-

1860/20

21  
7

मूल

बनाम

दिनांक २१/१२/२०

५१७४३२१

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिमें आख्या के साथ प्रस्तुत  
अद्योक्ति। अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो। वाद दिनांक ११/१२  
वास्ते बयान तहसीसे एवं दिनांक २१/१२ को वास्ते विरचित किया  
वादविन्दु पेश हो। विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन

सिविल जज(प्रवर खण्ड)

कक्ष सं०-15 सुलतानपुर

जाठी० ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाठी० प्रस्तुत  
गया ।

ले दिया गया लोकोन्नी प्राप्ति  
वादपत्र विरचित किया गया  
अन्तर्गत वाला छाना दिया गया  
०५-०१-२०२१ दिवान दृष्टि

४

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सूचित कर, नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

  
 (रांदीप कुमार)  
 सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष स०-१५  
 सुलतानपुर।  
 दिनांक 21.12.2020

दावाना न्यायालय छुलपारापुर  
तसदीक दिन-

अंगई परगना मीरानपुर  
तहसील सदर जनपद  
सुलतानपुर..... वादिनी  
द्वारा  
अधिवक्ता

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड), कोर्ट नं०-१५, सुलतानपुर।

मूल वाद सं०-१८६० / २०२०

26  
2

श्रीमती माधुरी

बनाम

पवन कुमार आदि ।

दिनांक २२.१२.२०२०

भूमि का

हल्का  
हो।  
केर

-15

पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थनापत्र ३९क। पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र १९क। वादिनी श्रीमती माधुरी की ओर से अन्तर्गत आदेश २३ नियम १ जा०दी० वारसे वापस किये जाने वाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादपत्र में काफी कमियां हो गयी हैं जो संशोधन के द्वारा दूर नहीं की जा सकती है। अतः वादी पुनः वाद दायर करने की अनुमति के साथ वाद वापस लेने की अनुमति दी जाय।

मामले में अभी प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है।

वादिनी ने अपने प्रार्थनापत्र में वाद उठाये जाने का जो कारण बताया है वह उचित है। चूंकि वादी अपने वाद को नहीं चलाना चाहता है अतः उसे जबरन वाद चलाने के लिये वाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र १९क। स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

प्रार्थनापत्र १९क। स्वीकार किया जाता है। वादी को पुनः वाद दायर करने की अनुमति के साथ वाद वापस लेने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय नियमानुसार वाद वापस करे। वाद अनुपालन पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

१२-१२-२०२०  
(संदीप कुमार)  
सिविल जज (प्रवर खण्ड),  
कोर्ट नं०-१५ सुलतानपुर।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज(प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर

OS-1894/20

श्रीमती माधुरी उम्र करीब 35 साल पत्नी सुनील कुमार निवासी ग्राम चकिया अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर.....वादिनी

बनाम

1— हनुमत उम्र करीब 50 साल सुत स्व० राज नरायण

2—पवन कुमार उम्र करीब 26 साल सुत उदयचन्द्र

निवासीगण ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर

प्रतिवादीगण

साठ वाठ सं०— /2020 ई०  
दायरा दिनांक—

दावा हुकम इमिनाई दवामी

महोदय,

वादिनी निम्न प्रकार विनयी है कि—

धारा 1—यह कि वादिनी ग्राम चकिया अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर की मूल वासिन्दा है और अपने पूर्वजों के समय से जमीन्दारी विनाश अधिनियम के काफी पूर्व से मौजा हाजा में आबाद चली आ रही है।

धारा 2—यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है जिसमें विवादित भूमि को लाल रंग की लकीर से घेरकर अक्षर अ, ब, स, द मय लम्बाई व चौड़ाई के प्रदर्शित किया गया है। नक्शा नजरी वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3—यह कि गाटा संख्या 510 रकमा 0.0010 है० रिथित ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर श्रीमती किरन पत्नी राम सुमिरन निवासी ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर /2020-21  
श्रीमती माधुरी बनाम हनुमत आदि साठवा० सं०—  
श्रीमती माधुरी बनाम

सुलतानपुर की संक्रमणीय भूमिधरी आराजी रही। श्रीमती किरन को अपने निजी कार्य हेतु रूपये पैसे की जरूरत थी इसलिए उन्होंने वादिनी से उक्त जमीन विक्रय करने की बात किया। श्रीमती किरन की आर्थिक परेशानी को देखते हुए वादिनी ने उक्त भूमि का बैनामा श्रीमती किरन पत्नी राम सुभिरन से करवाया जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 05.11.2020 को वही संख्या 1 जिल्द संख्या 9124 पृष्ठ संख्या 293 से 324 तक क्रमांक 7272 पर उपनिवन्धक कार्यालय सदर सुलतानपुर में हुयी है।

धारा 4—यह कि वाद बैनामा विक्रेता श्रीमती किरन ने वादिनी को विक्रीत भूमि गाटा संख्या 510 रक्बा 0.0010 हें रित्त ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर कब्जा दे दिया और तब से वादिनी गाटा संख्या 510 रक्बा 0.0010 हें रित्त ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर पर बिना किसी रोक टोक के काबिज दखील होकर उसका उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। पिंडित हो कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया लम्बित होने के कारण उद्धरण खतौनी में अभी वादिनी का नाम अंकित नहीं हो पाया है। खतौनी में आज भी विक्रेता श्रीमती किरन का नाम अंकित है। वाद पत्र के साथ बैनामे की प्रति संलग्न की जा रही है।

धारा 5—यह कि गाटा संख्या 510 की चौहदी इस प्रकार है—पूरब—चकमार्ग, पश्चिम—गाटा संख्या 529 चक माता प्रसाद आदि, उत्तर—पक्की सड़क बरासिन—हरौरा हरिगढ़नगंज मार्ग, दक्षिण—गाटा संख्या 529 खेत माता प्रसाद का जुज भाग स्थित है।

धारा 6—यह कि प्रतिवादीगण एक सरहंग व गोलबन्द, विस्तारवादी व चालबाज किस्म के व्यक्ति हैं और वादिनी से सख्त रंजिश रखते हैं तथा आये दिन प्रतिवादीगण, वादिनी को बिना किसी कारण के हैरान व परेशान करते रहते हैं। विवादित भूमि गाटा संख्या 510 से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार, कब्जा व दखल न तो कभी था और न इस समय ही है।

श्रीमती भूमिधरी बनाम उपनिवन्धक विविल जज (एवर छाड़) कम संख्या 15 साल 2020 से 01.01.2020 तक आदि सुलतानपुर तहसील खतौनी में वाद बैनामा द्वारा दिया गया है।

धारा 7—यह कि विवादित भूमि गाठा संख्या 510 सङ्क के किनारे स्थित होने के कारण वेशकीमती भूमि है जिसके कारण प्रतिवादीगण की लालची निगाहें हमेशा विवादित भूमि के प्रति बद व खास रहती है। प्रतिवादीगण दिनांक 20.12.2020 को कुछ अराजक तत्वों के साथ विवादित भूमि पर कब्जा करने की नियत से आये और विवादित भूमि पर जबरदस्ती नव निर्माण करने की नीयत से नाप जोख करने लगे, वादिनी मौके पर पहुंचकर प्रतिवादीगण को विवादित भूमि की नाप जोख करने से मना किया जिस पर प्रतिवादीगण मार पीट, लड़ाई-झगड़ा पर आमादा हो गये। वादिनी ने हल्ला गोहार किया जिस पर गांव व पास पड़ोस के तमाम लोग आ गये तब प्रतिवादीगण उस दिन मान गये परन्तु जाते समय ऐलानियां तौर पर धमकी दिये कि भविष्य में विवादित भूमि पर कब्जा करके उससे वादिनी को बेदखल करके नव निर्माण अवश्य करेंगे।

धारा 8—यह कि प्रतिवादीगण के उक्त बेजा कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए वादिनी ने दिनांक 21.12.2020 को गांव के सम्मान्त व्यवितयों की पंचायत बुलाया, परन्तु भरी पंचायत में प्रतिवादीगण पंचों की बात मानने व न्यायालय के बाहर मामले का निपटारा करने से इन्कार कर दिये और अपनी बेजा हस्केत पर अड़े रहे। लिहाजा दावा दायर करना आवश्यक हुआ।

धारा 9—यह कि यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त बेजा हरकत में कामयाब हो गया तो वादिनी की अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव न हो पावेगी।

धारा 10—यह कि वाद का मूल कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20.12.2020 को अपने गेली मददगारों के साथ विवादित भूमि पर आकर जबरदस्ती नव निर्माण करने की नीयत से नाप जोख करके वाद भूमि पर कब्जा करके वादिनी को बेदखल करने की ऐलानियां धमकी देने, वादिनी द्वारा मना करने पर मार पीट लड़ाई झगड़ा पर आमादा होने वादहू दिनांक 21.12.2020 को भरी पंचायत में पंचों की बात मानने व न्यायालय के बाहर मामले का निपटारा करने से इन्कार कर देने व नीज वाद

न्यायालय श्रीमान सिलिल जज (प्रवर चाण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर /2020-20  
श्रीमती मधुरी बनाम हनुमत आदि सालगत 30-

माननीय न्यायालय की न्यायिक व आर्थिक क्षेत्राधिकार के तहत उत्पन्न हुआ।

धारा 11—यह कि मालियत दावा हाजा विवादित भूमि की बाजारी कीमत मु0—6,00,000/- रुपये कायम की जाती है चूंकि दावा हुकुम इमिनाई दवासी का है इसलिए मालियत मु0—6,00,000/- रुपये का 1/5 भाग मु0—1,20,000/- रुपये पर मु0—500/- रुपये अधिकतम न्याय शुल्क अदा किया जाता है।

### याचना

अ—डिक्री हुकुम इमिनाई दवासी बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को हमेशा—हमेशा के लिए मना कर दिया जावे कि वे विवादित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा न करें और न विवादित भूमि से वादिनी को बेदखल करें, न जबरदस्ती नव निर्माण करें और न ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादिनी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से त्यवधान उत्पन्न होवे।

ब—वाद व्यय वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

स—अन्य याचना जो बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण मिल सकती हो प्रदान करवायी जाय।

सराहत जायदाद गाठा संख्या 510 रकमा 0.0010 है 0 स्थित ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर बरंग सुर्ख नवशा नजरी अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित जुज वाद पत्र हाजा।

मैं वादिनी तसदीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 10 मेरे निजी ज्ञान से सही व सच है तथा धारा 11 व याचना के सही होने का पूरा विश्वास है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ईश्वर मेरी मदद करे तसदीक मुकाम दीवानी न्यायालय सुलतानपुर तसदीक दि—०-

माधुरी

प्रार्थिनी माधुरी

श्रीमती माधुरी पत्नी सुनील  
कुमार निवासी ग्राम चकिया  
अगई परगना मीरानपुर  
तहसील सदर जनपद  
सुलतानपुर वादिनी  
द्वारा Sonu Adw

अधिवक्ता

दिनांक—२३/१२/२०२०

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (एवर थाट) कल संख्या 15 सुलतानपुर श्रीमती माधुरी बनाम हनुमत आदि सालदा० सं—०/२०२०

માણ્ણી

वादिनी

341  
6


४० हनुमहासाध

અત્યારે

## सांकेतिक-

| 2020

दायरा विभाग -



*ER-2000*

गोप्य  
दृष्टि  
चोह मारु द्रुष्टि

P.W.D. 4429, 1/21  
31  
100-5

CHRISTIAN

ପ୍ରକାଶକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

၁၇၅

प्रिय-गांधी-अस्माई पर श्रीलंका  
तट-सदृश विद्या - छुम्बकवाणी

211632

ਮਾਲੁਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਿਆਕੁਮਾਰ

पांडा - सुगंधि पर्वती - भीरुलाला  
देवी - सुखो फिला - सुनुवान्ना

25th

*Sommer  
Befreiung  
Peter*

$\text{G}_m = \mathbb{D} \cup \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\}$

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-

मूल वाद संख्या-

(८९६)२०

२१९५

बनाम

दिनांक १३/१२/२०

३३३८

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिमें आख्या के साथ प्रस्तुत  
अवलोकित। अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो। वाद दिनांक २५/१/२१  
वास्तवी वगान तहसीरी एवं दिनांक ०१/२/२१ को वास्ते विरचित  
अन्तिम दिन पेश हो। विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन

सिविल जज (प्रवर खण्ड)  
कक्ष सं०-१५ सुलतानपुर

अन्तर्गत आदेश ३९ नियम

५८२ प्रार्थनापत्र हुक्म इमिनाई चन्द्रोजा जाठदी०

१७१ अद्यतापत्र।

१७२ प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश २६ नियम ९ जाठदी० प्रस्तुत  
पत्र।

न्यायालय सिविल जज प्रबर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-1894/2020  
श्रीमती माधुरी -वनाम—हनुमत।

दिनांक- 23.12.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि को नक्शा मानचित्र में अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित करते हुए उसे अपने स्वत्व व अध्यारण की सम्पत्ति बताया गया है तथा कथन किया गया है कि प्रतिवादी का विवादित रास्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी की ओर से दाखिल प्रलेखों का परिशीलन किया। वादिनी ने विवादित भूमि को जरिये बैनामा प्राप्त करना कहा है और समर्थन में यिक्यपत्र की प्रति गिरावण खतौनी, भूचित्र व अन्य प्रलेखों की प्रति दाखिल किया है। वादिनी ने विवादित भूमि का गाटा नं- 510 रक्बा 0.0010हें0 बताया है और सम्पूर्ण रक्बे का बैनामा लिया है। ऐसे में यदि प्रतिवादी वादभूमि पर कब्जा कर लेंगे तो इससे वादी का दावा दायर करने का मकान ही तिफ़त हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित निया जाता है कि वे वाद भूमि दर्शित नक्शा वाद पत्र अक्षर अदार अ, ब, स, द पर नियम दिनांक तक यथारिति बनाये रखें। वादी आदेश 39 नियम 3 सि० ४० रां० का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वारते गिरावण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 11.01.2021 को पेश हो।

(संदीप) कुमार  
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-१५  
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन जो वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उपर्याप्त को सुनिश्चित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियम दिनांक तक प्रस्तुत करे।

(संदीप कुमार)  
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-१५  
सुलतानपुर।

11-01-21 - ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କିମ୍ବା  
ଫିଲ୍ ନାମ  
ଅମ୍ବାବିନୀ କିମ୍ବା  
କିମ୍ବା

8  
c. 76-15.

25-01-21 - ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କିମ୍ବା  
ଫିଲ୍ ନାମ  
ଅମ୍ବାବିନୀ କିମ୍ବା

c. 76-15

୦୫  
୦୪  
୨୧

01/02/21

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କିମ୍ବା  
ଫିଲ୍ ନାମ  
ଅମ୍ବାବିନୀ କିମ୍ବା

୩୧  
୦୯  
୨୧

CN-45

୫-୨-୨ - ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କିମ୍ବା  
ଫିଲ୍ ନାମ  
ଅମ୍ବାବିନୀ କିମ୍ବା

W10